



उपखण्ड अधिकारी (सीक)

(Handwritten signature)

आराली खसरा नंबर 82 रकबा 5.22 हैक्टयर में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का नाम दल किये जाने की आज्ञा का नाम हलफ कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का नाम दल किये जाने की आज्ञा आराली खसरा नंबर 82 रकबा 5.22 हैक्टयर में से 1/4 हिस्से से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 हो रहे है तथा अपने हिस्से की भूमि का सही रूप से विकास नहीं कर पा रहे है। इसलिए विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 सरकारी योजनाओं से वंचित का नाम 1/4 हिस्से में दल नहीं होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के हितों पर

जा रहा है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा आराली खसरा नंबर 82 रकबा 5.22 हैक्टयर में से 1/4 में अपना नाम दल करवाने बाबत अधीनस्थ तहसीलदार को निवेदन किया था लेकिन अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण अपने क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण राजस्व रिकार्ड त्रुटि किये जाने से इंकार कर दिया तथा प्रकरण माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का होने बताया। इसलिए दावा माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया

ग्राहनीय है।

आराली खसरा नंबर 82 रकबा 5.22 हैक्टयर में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दल करवाने के अधिकारी है इसलिए 1/4 हिस्से की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के नाम दल किया जाना

विपरीत प्रभाव पड़ता है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पिता, दादा, ससुर का देहान्त स्व. किसानाराम के जीवनकाल में ही हो गया था। स्व. किसानाराम की मृत्यु पर स्व. किसानाराम के नाम दल 1/2 हिस्सा संपूर्ण राजस्व कर्मचारियों की भूल से लाऊ केशाराम के नाम दल हो गया तथा संपूर्ण भूमि की खातेदारी केशाराम के नाम से दल हो गयी जब स्व. किसानाराम के नाम दल 1/2 हिस्सा स्व. केशाराम व 1/2 हिस्सा सुरजाराम के वारिसान (वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6) के नाम दल होने चाहिए था, लेकिन स्व0 किसानाराम के नाम दल 1/2 हिस्सा संपूर्ण केशाराम के नाम दल होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के हितों पर

किसी विवाद पर केशाराम पुत्र किसानाराम के नाम दल हुई थी।

1/2 हिस्सा की खातेदारी किसानाराम पुत्र केशाराम के नाम दल थी तथा 1/2 हिस्सा 34/1 में रकबा 5.22 हैक्टयर रहे है। आराली खसरा नंबर 34/1 में सरदारपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर में अवस्थित है कि खसरा नंबर 82 विवरण इस प्रकार है कि खसरा नंबर 82 का सक्षिप विवरण

(श्री) अतिरिक्त
 उपस्थित अधिकारी
 कर्मचारी सेवा
 शाखा का
 अध्यक्ष



निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

1/8 हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
 किये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से 1/8 व प्रतिवादी संख्या 2,3 के हिस्से में से
 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को 1/24 हिस्से का खातेदार कारखानेकार उदघोषित
 संख्या 2 को 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 3,4,5 को 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 को
 हिस्से का खातेदार कारखानेकार उदघोषित किया जाकर वादी संख्या 1 को 1/24 हिस्सा, वादी
 खसरा नंबर 82 रकबा 5.22 हैक्टर में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को 1/4 हक
 तलब की गई। अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी हिस्से दी जाती है कि ग्राम सरदारपुरा के
 3 नं वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण हेतु सहमति जताई। तहसीलदार, फतेहपुर से रिपोर्ट
 गयी। पत्रावली आज कम कोर्ट माण्डला बजा पर पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता
 ता 8 बावजूद तामील हलिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लयी
 संख्या 1 ता 3 की ओर से हरफूल सिंह एड. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4
 वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी। प्रतिवादी

आदेश

कम किया जावे।
 प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से 1/8 व प्रतिवादी संख्या 2,3 के हिस्से में से 1/8 हिस्सा
 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को 1/24 हिस्से का खातेदार उदघोषित किया जावे।
 संख्या 2 को 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 3 ता 5 को 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 को
 हिस्से का खातेदार कारखानेकार उदघोषित किया जाकर वादी संख्या 1 को 1/24 हिस्सा, वादी
 संख्या 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 को 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को 1/24
 हिस्से का खातेदार कारखानेकार उदघोषित किया जाकर वादी संख्या 1 को 1/24 हिस्सा, वादी
 संख्या 3,4,5 को 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को 1/4 हक
 तलब की गई। अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी हिस्से दी जाती है कि ग्राम सरदारपुरा के
 3 नं वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण हेतु सहमति जताई। तहसीलदार, फतेहपुर से रिपोर्ट
 गयी। पत्रावली आज कम कोर्ट माण्डला बजा पर पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता
 ता 8 बावजूद तामील हलिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लयी
 संख्या 1 ता 3 की ओर से हरफूल सिंह एड. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4
 वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी (श्रीका.)
कलकत्ता

(Signature)

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे हिगरी के जारिये दिखाया गया हो या नहीं।

मुदई	रुपया	पैसा	मुदखतह	रुपया	पैसा
स्टम्प अर्जी दावा	2	-	स्टम्प अर्जी दावा	-	1
स्टम्प वकालत नामा	1	-	स्टम्प वकालत नामा	-	1
स्टम्प वजह सबूत	-	-	स्टम्प वजह सबूत	-	-
महत्ताना वकील	-	-	महत्ताना वकील	-	-
खर्चा गवाहन	-	-	खर्चा गवाहन	-	-
फीस कम्पिशनर	-	-	फीस कम्पिशनर	-	-
बबल इजराय हुक्मनामा	-	-	बबल इजराय हुक्मनामा	-	-
मुतफरिक	-	-	मुतफरिक	-	-
श्रीजान	3	-			



मुहर

की गई।

उपखण्ड अधिकारी (श्रीका.)
कलकत्ता

(Signature)

दस्तखत

बसबा से दस्तखत व मुहर अदावत के आज तारीख08.....माहमई.....सन 2018 को जारी

तरीख अदायगी तक.....का अदा करें।

खर्चा इस मुकदमें के मय बूट बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से

निज.....मुबलिया.....बाबत.....

करें।

1/8 हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन
 1/8 हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन
 1/8 हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन

उपखण्ड अधिकारी (श्रीका.)
कलकत्ता (श्रीका.)

(Signature)

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे हिगरी के जारिये दिखाया गया हो या नहीं।

मुहदई	रुपया	पैसा	मुहयलद	रुपया	पैसा
स्टम्प अर्जी दावा	2	-	स्टम्प अर्जी दावा	1	-
स्टम्प वकालत नामा	1	-	स्टम्प वकालत नामा	1	-
स्टम्प वजह सबूत	-	-	स्टम्प वजह सबूत	-	-
महत्ताना वकील	-	-	महत्ताना वकील	-	-
खर्चा गवाहन	-	-	खर्चा गवाहन	-	-
फीस कम्पिशनर	-	-	फीस कम्पिशनर	-	-
बबल इजराय हुक्मनामा	-	-	बबल इजराय हुक्मनामा	-	-
मुतफरिक	-	-	मुतफरिक	-	-
श्रीजान	3	-		1	-



मुहर

की गई।

उपखण्ड अधिकारी (श्रीका.)
कलकत्ता (श्रीका.)

(Signature)

दस्तखत

बसबा से दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08..... माह मई..... सन् 2018 को जारी

तारीख अदायगी तक.....का अदा करें।

खर्चा इस मुकदमें के मय बूँद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से

निज..... मुबलिना..... बाबत.....

करें।

1/8 हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन
 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से 1/8 व प्रतिवादी संख्या 2,3 के हिस्से में से
 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को 1/24 हिस्से का खातेदार कारतकार उदधीषित
 को 1/24 हिस्सा वादी संख्या 3,4,5 को 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 को
 1/24 हिस्सा वादी संख्या 1 को 1/24 हिस्सा वादी संख्या 1 को 1/24 हिस्सा वादी